न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 45/2015 (बांसवाड़ा डिकी)

मोका पिता उंकार, जाति चमार, निवासी गांव कुपडा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक धूला के वारिसान :–

1/1. कुबेर पिता स्वर्गीय धूला, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. अरविन्द पिता स्वर्गीय धूला, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. हिरा पिता स्वर्गीय धूला, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. श्रीमती जमना बेवा स्वर्गीय धूला, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. विठला पिता स्वर्गीय मावजी, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. हिरा पिता स्वर्गीय मावजी, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती जीवी पत्नी स्वर्गीय रामा, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. कांतिलाल पिता स्वर्गीय रामा, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. नारायण पिता स्वर्गीय रामा, जाति चमार, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. राजु पिता स्वर्गीय मणीया, निवासी घण्टाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा।
8. प्रकाश पिता स्व0 धुलजी, निवासी घण्टाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा।
9. तहसीलदार बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 08.10.2015 प्र.सं. 4/2014

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री रमेश रावल अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री आर.के. जैन अभिभाषक रे.सं. 1 व 6
3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

---::---

निर्णय **दिनांक 21—01—2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्ट व तहसीलदार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी नंबर 700/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम कुपडा में स्थित है। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष कोदरिया जी थे, जिसके दो पुत्र अमरिया व मावजी हुए। अमरिया लाऔलाद फोत हुआ तथा मावजी के वारिस वादीगण हैं। उक्त भूमि अमरिया को आवंटित हुई तथा अमरिया के फोत होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादीगण अमरिया के वारिस हैं। अमरिया के नाम भूमि संवत् 2024 से 2027 तक खसरा गिरदावरियों में प्रविष्ट रही, किन्तु जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में अमरिया का नाम बदलकर उंकार पिता कोदरिया लिख दिया गया, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार राजस्व कर्मचारियों को नहीं था। मौके पर कब्जा आज भी वादीगण का ही चला आ रहा है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी के पिता उंकार का नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी ने कूटरचित तरीके से नामान्तरकरण संख्या 1111 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि वास्तव में प्रतिवादी मोका पिता उंकार, उंकार पिता रतना चमार का उत्तराधिकारी है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1111 दिनांक 04—07—2005 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा व अन्य न्यायोचित अनुतोष वादीगण को दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी तथा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 08–10–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–11–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री आर. के. जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मनमाने तरीके से वादीगण को उंकार की भूमियों का खातेदार घोषित किया है, जबकि उंकार अपीलान्ट के पिता है इसी कारण उसके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2019 में विवादित आराजी नंबर 700/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा श्री सरकार के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2023 में अमरिया पिता कोदरिया के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई है, जो उसे आवंटन से प्राप्त किये जाने का नोट इसी खसरा गिरदावरी के कलम संख्या 32 में अंकित है। उक्त इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत 2024 से 2027 में भी कर रखा है, किन्तु इसके बाद की जमाबन्दियों में अमरिया पिता कोदरिया के

स्थान पर उंकार पिता कोदरिया का नाम अंकित है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में नायब तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, जिसका वर्णन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किया है, उसमें उंकार पिता कोदरिया नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम कुपड़ा या उसके आस–पास नहीं था। अमरिया के लाऔलाद फोत हो जाने से उसका भाई मावजी पिता कोदरिया अमरिया की सम्पत्ति का हकदार था, क्योंकि मावजी व अमरिया दोनों सगे भाई थे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण को अमरिया का वारिस मानते हुए उनका वाद डिक्री किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–10–2015 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** ....

मोका पिता उंकार, जाति चमार निवासी कुपडा, तह0 व जिला बांसवाड़ा बनाम **धुला के बजाय कुबेर पिता धुला, जाति चमार, निवासी कुपडा, तह0 व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं...........**45/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
..... **बांसवाड़ा** .... मुकाम...............मुवर्खे.............**08**..............माह.............**10**............**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**21**....माह........**01**.......सन् **2020** रूबरू........**पक्षकारान**
व हाजरी......**श्री रमेश रावल**..........मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री आर. के. जैन**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–10–2015 यथावत रखा जाता है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**21**.....माह.......**01**...........**2020**
को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: